Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जालोर में वन विभाग का क्षेत्रीय वन अधिकारी व दो वनरक्षक 10 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *19 मई गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सिरोही इकाई द्वारा आज जालोर में कार्यवाही करते हुये भास्कर चौधरी क्षेत्रीय वन अधिकारी–द्वितीय जालोर, महिपाल सिंह वनरक्षक तथा जितेन्द्र कुमार वनरक्षक को परिवादी से 10 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की सिरोही इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मैं कोयले का व्यवसाय करता हूँ, श्री भास्कर चौधरी क्षेत्रीय वन अधिकारी जालोर ने भागली टोल प्लॉजा जालोर में मेरी गाड़ी को रूकवाकर, गाड़ी छोडने की एवज में मुझसे 50 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर 40 हजार रूपये मौके पर ले लिये है तथा अब बाकी के 10 हजार रूपये देने तथा आगे से जालोर क्षेत्र में व्यवसाय करने की एवज में 10 हजार रूपये प्रति गाड़ी के हिसाब से मासिक बंधी (मंथली) के रूप में रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी **जोधपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाश चन्द्र बिश्नोई** सुपरविजन में एसीबी की सिरोही इकाई के **अति0 पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश चौधरी** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम जालोर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये 1–भास्कर चौधरी पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम सांगरोद तहसील खेड़का जिला बागपत उत्तरप्रदेश, हाल क्षेत्रीय वन अधिकारी–द्वितीय, वन बन्दोबस्त शाखा जालोर, अतिरिक्त चार्ज सहायक वन संरक्षक कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी जालोर, 2–महिपाल सिंह पुत्र शंभूसिंह निवासी आशापूर्णा कॉलोनी जालोर, हाल वनरक्षक कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी जालोर तथा 3–जितेन्द्र कुमार उर्फ विराट पुत्र दलपतराम निवासी ग्राम निम्बला तहसील आहोर जिला जालोर, हाल वनरक्षक कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी जालोर को परिवादी से 10 हजार रूपये रिश्वत राशी लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपीयान के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।